2010:CGHC:13340

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

खंडपीठ: न्यायाधीशगण माननीय श्री न्यायमूर्ति आई एम कुद्दूसी एवं

माननीय श्री न्यायमूर्ति नवार किशोर अग्रवाल

विविध अपील क्रमांक 1059/2003

अपीलार्थी: **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड**

बनाम

प्रत्यर्थी: **श्री राम किशन दुबे एवं अन्य**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थिति :

अपीलार्थी की ओर से : श्री आनंद कुमार तिवारी, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री जे ए लोहानी, अधिवक्ता के साथ

निर्णय (मौखिक)

(दिनांक 28 अगस्त 2010)

न्यायमूर्ति आई.एम. कुद्दूसी द्वारा:

2010:CGHC:13340

1. जब मामला पुकारा गया, प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। द्वितीय पुकार में भी प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और इसलिए, मामले का निर्णय एकपक्षीय रूप से किया जाता है।

2. अपीलार्थी - बीमा कंपनी ने यह अधिनिर्णय दिनांक 31.07.2003 के विरुद्ध दायर की है जो कि दावा प्रकरण संख्या 78/2002 में पारित किया गया था, जिसमें माननीय मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, दुर्ग (छत्तीसगढ़.) ने दावेदारों द्वारा दायर दावा याचिका को स्वीकार किया और मृतक के माता-पिता को रु. ₹३,२९,५६४/- की राशि प्रतिकर के रूप में प्रदान की थी। मृतक की आयु 19 वर्ष की थी और उसकी मृत्यु सड़क दुर्घटना में हुई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 16.4.2002 को लगभग शाम 6-7 बजे, मृतक गोपाल दुबे, जो यहाँ प्रत्यर्थी क्रमांक 1 और 2 का पुत्र था, अपने स्कूटर पर भिलाई-3 रेलवे स्टेशन अपने पिता को लेने जा रहा था। रास्ते में सामने से आने वाली एक बस, जिसका पंजीयन क्रमांक MP-21-W-6969 था, जो चालक द्वारा लापरवाही एवं उतावलापूर्वक चलाई जा रही थी, ने गोपाल दुबे के स्कूटर को टक्कर मारी, जिसके परिणामस्वरूप उसे गंभीर चोटें आईं और उसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। दावेदारों ने अपने पुत्र की मृत्यु के कारण विभिन्न आधारों पर रु. ₹७३,५५,०००/-की राशि का दावा करते हुए दावा याचिका दायर की। दावेदारों ने मृतक की मासिक आय के समर्थन में, मृतक गोपाल दुबे का प्रमाण पत्र Ex. **P**-5

2010:CGHC:13340

के रूप में दाखिल किया है जो दर्शाता है कि मृतक ने दिसंबर 2001 में आई.टी. भिलाई कंप्यूटर एकेडमी द्वारा आयोजित डी.टी.पी. (2 महीने की परीक्षा) द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण किया था। दावेदारों ने अपने दावे के समर्थन में अन्य दस्तावेज भी प्रस्तुत किए

4. अधीनस्थ न्यायाधिकरण ने पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर विचार करने के बाद, दावेदारों की दावा याचिका को स्वीकार किया और विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत रु. ₹३,२९,५६४/- की राशि अधिनिर्णीत की। न्यायाधिकरण ने आगे यह भी कहा कि दावा याचिका में अनावेदकगण संयुक्त या पृथक रूप से अधिनिर्णय को संतुष्ट करने के लिए उत्तरदायी होंगे। इसी आदेश के विरुद्ध, अपीलार्थी बीमा कंपनी द्वारा यह अपील दायर की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना और आक्षेपित अधिनिर्णय के साथ-साथ अधीनस्थ दावा अधिकरण के अभिलेख का परीक्षण किया।

6. अपीलार्थी - बीमा कंपनी ने केवल प्रतिकर की राशि के प्रश्न पर यह अपील दायर की है और माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय **म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर बॉम्बे बनाम लक्ष्मण अय्यर और अन्य (2003) 8 एस सी सी 731** पर अवलंब लिया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि उन मामलों में जहाँ मृतक लगभग 18 वर्ष की आयु का था और अविवाहित था, गुणक 10 से अधिक नहीं हो सकता। उस प्रकरण में यह तथ्य भी उल्लेखनीय

2010:CGHC:13340

था कि मृतक के माता-पिता शिक्षित थे तथा नियोजित होकर स्वतंत्र आय अर्जित कर रहे थे। जहाँ तक प्रतिकर की राशि का संबंध है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि उचित गुणक के निर्धारण में केवल मृतक की आयु ही सुसंगत नहीं होती, बल्कि दावेदारों की आयु भी उचित गुणक के निर्धारण में सुसंगत है।

7. माननीय उच्चतम न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ द्वारा **लता वाधवा और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य ए आई आर 2001 एस सी 3218** में यह मार्गदर्शक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि बच्चों की मृत्यु से संबंधित मामलों में प्रतिकर के निर्धारण हेतु कुछ निश्चित मानदंड अपनाए जाने चाहिए। उक्त निर्णय के पैरा 8 और 11 का अवलोकन किए जाने योग्य है। इसलिए वह निम्नानुसार उद्धृत किया गया है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> **"पैरा 8:** मृत्यु के मामलों में प्रतिकर के निर्धारण के संबंध में, इस न्यायालय के दिनांक 15-12-1993 के आदेश में उल्लिखित आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के तीन निर्णयों के अलावा, इस न्यायालय ने **जनरल मैनेजर, केरल एस.आर.टी.सी. बनाम सुसम्मा थॉमस** के मामले में इस प्रश्न पर विस्तार से विचार किया है। उक्त मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि आश्रितों को प्रतिकर देने के लिए क्षतिपूर्ति के मूल्यांकन हेतु, मृतक और आश्रितों की जीवन प्रत्याशा, मृतक द्वारा शेष जीवन में कमाई जा सकने

2010:CGHC:13340

वाली राशि, उस अवधि के दौरान आश्रितों के लिए योगदान की जाने वाली राशि, इस बात की संभावना कि मृतक जीवित न रहे या आश्रित उनकी जीवन प्रत्याशा की अनुमानित शेष अवधि तक जीवित न रहें, इस बात की संभावना कि मृतक बेहतर रोजगार या आय प्राप्त कर सकता था या अपना रोजगार या आय पूरी तरह खो सकता था - जैसी कई अनिश्चितताओं को ध्यान में रखना होता है। न्यायालय ने आगे यह टिप्पणी की कि क्षतिपूर्ति या हानी का निधारण करते समय मृतक की शुद्ध आय का निर्धारण किया जाए जो स्वयं और उसके आश्रितों के समर्थन के लिए उपलब्ध हो, और उसमें से मृतक की आय का वह हिस्सा घटाया जाए जो वह स्वयं पर, स्व-रखरखाव और मनोरंजन दोनों के संबंध में खर्च करता था, और यह पता लगाया जाए कि मृतक अपनी शुद्ध आय का कौन सा हिस्सा आश्रितों के लाभ के लिए व्यय करता था, और तत्पश्चात इसे उचित संख्या के वर्षों की खरीद का प्रतिनिधित्व करने वाले आंकड़े से गुणा करके पूंजीकृत किया जाना चाहिए। यह भी कहा गया था कि अधिकांश भाग आवश्यक रूप से परिकल्पना के क्षेत्र में रहता है और उस क्षेत्र में, अंकगणित एक अच्छा सेवक परंतु एक बुरा स्वामी है क्योंकि अक्सर कई अनिश्चितताएं होती हैं। हर मामले में, "यह समग्र चित्र है जो मायने रखता है", और न्यायालय को

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2010:CGHC:13340

यथासंभव, सर्वोत्तम तरीके से, हुई हानि का मूल्यांकन करने का प्रयास करना चाहिए। गुणक पद्धति की स्वीकार्यता पर, न्यायालय ने टिप्पणी की:

"गुणक पद्धति तार्किक रूप से सुदृढ़ और विधिक रूप से सुस्थापित पद्धति है जो 'न्यायसंगत' प्रतिकर सुनिश्चित करती है, जो निर्णयों में एकरूपता और निश्चितता लाती है । इस पद्धति से विचलन केवल दुर्लभ और असाधारण परिस्थितियों और अत्यंत असाधारण मामलों में ही उचित ठहराया जा सकता है।"

न्यायालय ने आगे यह भी टिप्पणी की कि गणना की उचित पद्धति गुणक पद्धति है और असाधारण और विशेष मामलों को छोड़कर कोई भी विचलन, सिद्धांत की असंगति, एकरूपता की कमी और प्रतिकर के आकलन में अनिश्चितता का तत्व पेश करेगा। न्यायालय ने कुछ उच्च न्यायालयों द्वारा लिए गए विपरीत दृष्टिकोण को अस्वीकार किया और इस बिंदु पर उच्चतम न्यायालय के पूर्व के दृष्टिकोण को स्पष्ट किया। अंग्रेजी निर्णयों की एक श्रृंखला पर विचार करने के बाद, यह प्रतिपादित किया गया कि 'गुणक पद्धति में मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आश्रितता की हानि या गुणनीय राशि का निर्धारण करना और उचित गुणक द्वारा उपयुक्त गुणक द्वारा पूंजीकृत करना शामिल है।' गुणक का चयन मृतक की आयु (या दावेदारों की आयु, जो भी अधिक हो) के आधार पर किया जाता है और इस गणना द्वारा निर्धारित किया जाता है कि यदि किसी पूंजी राशि को स्थिर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2010:CGHC:13340

अर्थव्यवस्था के लिए उपयुक्त ब्याज दर पर निवेश किया जाए, तो वह वार्षिक ब्याज के रूप में गुणनीय राशि प्राप्त करेगी। इसका निर्धारण करते समय, इस तथ्य को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि अंततः पूंजी राशि भी उस अवधि में समाप्त हो जानी चाहिए जिसके लिए आश्रितता के रहने की उम्मीद है। माननीय न्यायालय के उक्त प्राधिकारिक निर्णय के परिप्रेक्ष्य में तथा गुणक पद्धति के आधार पर श्री न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ द्वारा प्रतिवेदन में किए गए निर्धारण को ध्यान में रखते हुए, हमारे लिए सुश्री राणी जेठमलानी की इस दलील को स्वीकार करना कठिन है कि प्रतिकर के निर्धारण हेतु स्थापित सिद्धांत का वर्तमान मामले में पालन नहीं किया गया है। विद्वान अधिवक्ता की यह अग्रेतर दलील किया गया है कि किया गया निर्धारण मनमाना है, किसी भी सारवान से रहित है, क्योंकि श्री न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने सभी सुसंगत कारकों पर विचार करते हुए गुणक को सम्यक रूप से लागू किया है। प्रतिकर वित्तीय हानि के आधार पर प्रदान किया जाता है और वित्तीय हानि का आकलन आय की संभावित हानि के समान रीति से किया जाता है। मूल आंकड़ा, शुद्ध आय होने के बजाय, आश्रितों के भरण-पोषण में शुद्ध योगदान है, जो मृतक की भावी आय प्राप्त होने से वंचित होगा। जब मूल आंकड़ा निश्चित हो जाता है, तो उस संभावित कालावधि का अनुमान लगाना होता है जिसके लिए आय या योगदान जारी रहता, और तत्पश्चात एक उपयुक्त गुणक निर्धारित करना होता है (वर्षों की क्रय संख्या), जो कुल हानि को उसके वर्तमान मूल्य तक कम कर देगा, आय में

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2010:CGHC:13340

वृद्धि या कमी के सिद्ध जोखिमों को ध्यान में रखते हुए होगा। *मैलेट बनाम मैकमोनागल* के मामले में लॉर्ड डिप्लॉक ने उन अनिश्चितताओं का पूर्ण विश्लेषण दिया था, जो अनुमान की विभिन्न अवस्थाओं में उत्पन्न होती हैं और उनसे निपटने के व्यावहारिक तरीके भी दिए। *डेविस बनाम टेलर* के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि न्यायालय, भविष्य की अनिश्चित घटनाओं को देखते हुए, यह निर्णय नहीं करता कि कोई एक घटना दूसरी की तुलना में अधिक संभाव्य है या नहीं, बल्कि केवल संभावनाओं का मूल्यांकन करता है। यदि कोई संभावना अत्यल्प और दूरस्थ है तो उसे अनदेखा किया जा सकता है। गणना की कोई भी पद्धति वास्तविक हानि की क्षतिपूर्ति की आवश्यकता के अधीन है। किंतु प्रतिकर हानि की गणना के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण लॉर्ड राइट द्वारा एक प्रायः उद्धृत परिच्छेद में *डेविस बनाम पॉवेल*, डफरिन एसोसिएटेड कोलियरीज लिमिटेड के मामले में निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया (ऑल ईआर पृ. 665 ए-बी):

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "प्रारंभिक बिंदु मजदूरी की वह राशि है जो मृतक अर्जित कर रहा था, जिसका निर्धारण कुछ हद तक उसके रोजगार की नियमितता पर निर्भर हो सकता है। तत्पश्चात यह अनुमान लगाया जाता है कि उसके अपने निजी और जीवन-यापन के व्ययों के लिए कितनी राशि की आवश्यकता थी या व्यय की गई। शेष राशि एक आधार या मूल

2010:CGHC:13340

आंकड़ा प्रदान करेगी जिसे सामान्यतः वर्षों की एक निश्चित क्रय संख्या लेकर एकमुश्त राशि में परिवर्तित किया जाएगा।"

पैरा 11. जहाँ तक बालकों के मामले में प्रतिकर के अधिनिर्णय का संबंध है, श्री न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने उन्हें दो समूहों में विभाजित किया है, प्रथम समूह ५ से १० वर्ष की आयु वर्ग के बीच और द्वितीय समूह १० से १५ वर्ष की आयु वर्ग के बीच। ५ से १० वर्ष की आयु वर्ग के बीच के बालकों के मामले में प्रतिकर के रूप में रु.५०,००० की एकसमान राशि देय होना अभिनिर्धारित किया गया है, जिसमें रु.२५,००० का परंपरागत अंक जोड़ा गया है और इस प्रकार १४ बालकों के उत्तराधिकारियों को रु.७५,००० प्रत्येक की समेकित राशि अधिनिर्णीत की गई है। जहाँ तक १० से १५ वर्ष की आयु वर्ग के बालकों का संबंध है, ऐसे १० बालक हैं जो उस दुर्भाग्यपूर्ण दिवस पर मृत हुए थे और परिवार में उनके योगदान को रु.१२,००० प्रति वर्ष पाया गया है, ११ गुणक लागू किया गया है, विशेष रूप से, पिता की आयु पर निर्भर करते हुए और तत्पश्चात प्रत्येक मामले में रु.२५,००० का परंपरागत प्रतिकर जोड़ा गया है और परिणामस्वरूप, १० वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक मृतक के उत्तराधिकारियों को रु.१,५७,००० प्रत्येक की धनराशि का प्रतिकर अनुदत्त किया गया है। किसी शिशु की मृत्यु के मामले में, शिशु के जीवनकाल के दौरान उसके माता-पिता द्वारा कोई वास्तविक आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं किया

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2010:CGHC:13340

गया हो सकता है। किंतु यह आवश्यक रूप से माता-पिता के दावे को वर्जित नहीं करेगा और संभावित हानि एक वैध दावे का आधार होगी बशर्ते कि माता-पिता यह स्थापित करें कि यदि बालक जीवित रहता तो उन्हें आर्थिक लाभ की युक्तियुक्त प्रत्याशा थी। यह सिद्धांत *हाउस ऑफ लॉर्ड्स* द्वारा *टैफ वेल रेलवे बनाम जेनकिन्स* के प्रसिद्ध मामले में प्रतिपादित किया गया था और लॉर्ड एटकिन्सन ने इस प्रकार कहा था:

> "...केवल इतना ही आवश्यक है कि वाद प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति द्वारा आर्थिक लाभ की युक्तियुक्त प्रत्याशा की गई हो। यह सत्य है कि इस प्रत्याशा का अस्तित्व तथ्य का एक निष्कर्ष है—तथ्य का ऐसा आधार होना चाहिए जिससे निष्कर्ष युक्तियुक्त रूप से निकाला जा सके; किंतु मैं इस प्रस्ताव से अपनी सुदृढ़ असहमति व्यक्त करना चाहता हूँ कि यह आवश्यक है कि उन तथ्यों में से दो तथ्य, जिनके बिना निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, प्रथम, यह हैं कि मृतक ने भूतकाल में धन अर्जित किया था, और द्वितीय, यह कि उसने या उसकी ने वादी के भरण-पोषण में योगदान दिया था। ये निःसंदेह सारगर्भित साक्ष्य के अंश हैं, किंतु वे केवल साक्ष्य के अंश हैं; और आवश्यक निष्कर्ष, मेरे विचार में, उनसे भिन्न और अन्य परिस्थितियों से निकाला जा सकता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2010:CGHC:13340

साथ ही, यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि लाभ की मात्र काल्पनिक संभावना पर्याप्त नहीं है। यह प्रश्न कि क्या आर्थिक लाभ की युक्तियुक्त प्रत्याशा विद्यमान है, सदैव तथ्य और विधि का मिश्रित प्रश्न है। इस बिंदु पर अनेक निर्णीत मामले हैं, जो ऐसे मामलों में प्रतिकर के निर्धारण हेतु मार्गदर्शक सिद्धांत प्रदान करते हैं किंतु हम यह आवश्यक नहीं समझते कि उन पर ध्यान दें, क्योंकि दावेदारों ने आर्थिक लाभ की युक्तियुक्त प्रत्याशा, जिसकी माता-पिता को अपेक्षा थी, पर कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की थी। किसी प्रतिभाशाली और स्वस्थ बालक के मामले में, विद्यालय में उसके प्रदर्शन के आधार पर, प्राधिकरण के लिए प्रतिकर राशि पर पहुँचना सरल होगा, जो किसी अन्य रुग्ण, अस्वस्थ, सूखारोग से पीड़ित बालक और निर्बल छात्र से भिन्न हो सकता है, किंतु जैसा कि पूर्व में कहा गया है, श्री न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ के समक्ष सामग्री का कोई भी अंश प्रस्तुत नहीं किया गया था जो उन्हें ऐसे मामलों में न्यायसंगत प्रतिकर पर पहुँचने में सक्षम बनाता, और इसलिए, उन्होंने अनुमान के आधार पर इसका निर्धारण किया है। श्री नरीमन, जो टिस्को की ओर से स्वयं उपस्थित हुए, ने प्रस्तुत किया कि सभी आयु वर्गों के बालकों के लिए निर्धारित प्रतिकर को दोगुना किया जा सकता है, उनके विचार में भी, किया गया निर्धारण अत्यधिक अपर्याप्त है। माता-पिता के लिए बालक की हानि अपूरणीय है, और कोई भी धनराशि

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2010:CGHC:13340

माता-पिता को प्रतिकर नहीं दे सकती। उस परिवेश को ध्यान में रखते हुए जिससे ये बालक आए थे, उनके माता-पिता टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के युक्तियुक्त रूप से सुस्थित अधिकारी थे, और श्री नरीमन के निवेदन पर विचार करते हुए, हम निर्देश देंगे कि ५ से १० वर्ष की आयु वर्ग के बीच के बालकों के लिए प्रतिकर राशि तीन गुनी होनी चाहिए। अन्य शब्दों में यह रु.१.५ लाख होनी चाहिए, जिसमें रु.५०,००० का परंपरागत अंक जोड़ा जाना चाहिए और इस प्रकार प्रत्येक मामले में कुल राशि रु.२ लाख होगी। जहाँ तक १० से १५ वर्ष की आयु वर्ग के बीच के बालकों का संबंध है, वे सभी कक्षा **VI** से कक्षा **X** के छात्र हैं और टिस्को के कर्मचारियों के बालक हैं। टिस्को की स्वयं यह परंपरा है कि प्रत्येक कर्मचारी अपने एक बालक को कंपनी में नियोजित करा सकता है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, उनके मामले में, रु.१२,००० प्रति वर्ष का योगदान हमें निम्न पक्ष पर प्रतीत होता है और हमारी सुविचारित राय में, योगदान रु.२४,००० होना चाहिए और ११ गुणक के बजाय, उपयुक्त गुणक १५ होगा। अतः, उक्त आधार पर इस प्रकार परिगणित प्रतिकर रु.३.६० लाख होना चाहिए, जिसमें रु.५०,००० की अतिरिक्त राशि जोड़नी होगी, इस प्रकार उक्त मृतक बालकों के प्रत्येक दावेदार के लिए देय कुल राशि रु.४.१० लाख होगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2010:CGHC:13340

8. उपर्युक्त निर्णय उस कालावधि के हैं जब द्वितीय अनुसूची, जो कि दिनांक 14.11.1994 से प्रवृत्त हुई थी, अस्तित्व में नहीं थी; परंतु द्वितीय अनुसूची में गुणक को आयु-वार निर्दिष्ट किया गया है, और कटौती को एक-तिहाई (1/3) के रूप में इस विचार में प्रदान किया गया है कि मृतक, द्वारा स्वयं के भरण-पोषण हेतु व्यय किए गए होते यदि वह जीवित रहता।

9. माननीय उच्चतम न्यायालय ने हाल ही के निर्णय **सरला वर्मा (श्रीमती) और अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम और अन्य (2009) एस सी सी 121** में पैरा 40 के माध्यम से प्रतिपादित किया है कि दी गई तालिका में कॉलम (4) के अनुसार गुणक स्केल लागू होगी। इसके अलावा, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी माना है कि उस मामले में जहाँ मृतक अविवाहित था और माता-पिता दावेदार हैं: सामान्यतः 50% व्यक्तिगत और जीवन व्यय के रूप में घटाया जाता है क्योंकि यह मान लिया जाता है कि एक अविवाहित व्यक्ति स्व-रखरखाव पर अधिक खर्च करने की प्रवृत्ति रखता है। इसी प्रकार का दृष्टिकोण माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सैयद बशीर अहमद और अन्य बनाम मोहम्मद जमील और अन्य**, **(2009) 2 एस सी सी 225** (पैरा 28) में व्यक्त किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. गुणक का चयन सभी मामलों में केवल मृतक की आयु पर निर्भर नहीं हो सकता और दावेदारों की आयु भी सुसंगत है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने सरला वर्मा

2010:CGHC:13340

के मामले (पूर्वोक्ति) में, **जनरल मैनेजर, केरल एस.आर.टी.सी. बनाम सुसम्मा थॉमस, (1994) 2 एस सी सी 176** के निर्णय का उल्लेख करते हुए पुनः दोहराया है गुणक विधि में निर्भरता की हानि अथवा गुणनीय राशि का निर्धारण मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, तथा उक्त गुणनीय राशि को उपयुक्त गुणक द्वारा पूंजीकृत किया जाता है। गुणक का चयन मृतक की आयु या दावेदारों की आयु, जो भी अधिक हो, द्वारा निर्धारित किया जाता है (पैरा 13 देखें)। पैरा 17 के माध्यम से यह भी कहा गया है कि आमतौर पर अंग्रेजी न्यायालयों में परिचालनात्मक गुणक शायद ही कभी अधिकतम रूप में 16 से अधिक होता है और यह मृतक व्यक्ति (या आश्रितों की, जो भी अधिक हो) उसी के अनुपात में तदनुसार कम हो जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. वर्तमान मामले में, माननीय दावा न्यायाधिकरण ने मृतक की आयु, जो एक 19 वर्ष का अविवाहित युवक था, को ध्यान में रखते हुए द्वितीय अनुसूची के अनुसार द्वितीय अनुसूची के अनुसार 16 का गुणक लागू किया और प्रतिकर की गणना रु. 3,20,064/- की। इसके अलावा, प्रेम और स्नेह की हानि के लिए रु. 5,000/-, अंत्येष्टि व्यय के लिए रु. 2,000/- और संपत्ति की हानि के लिए रु. 2,500/- की राशि भी प्रदान की गई।

12. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, हम हम यह मत व्यक्त करते हैं कि माननीय दावा न्यायाधिकरण ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय

2010:CGHC:13340

म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर बॉम्बे (पूर्वोक्ति) और **लता वाधवा** (पूर्वोक्ति) में प्रतिपादित विधि का विचार नहीं किया है; अतः हमारा मत है कि यह मामला पुनर्विचार योग्य है।

13. तदनुसार, हम इस अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हैं और दिनांक 31.7.2003 के आक्षेपित निर्णय को आपस्थ करते हैं और मामले को पुनः निर्णयार्थ माननीय मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, दुर्ग (छ.ग.) को वापस भेजते हैं, ताकि वह दोनों पक्षों को अपने-अपने पक्ष में अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए मामले का पुनः निर्णय करे। यह स्पष्ट किया जाता है कि आक्षेपित अधिनिर्णय में दिए गए किसी भी निष्कर्ष को ध्यान में नहीं रखा जाएगा और उन निष्कर्षों से प्रभावित हुए बिना, दावा अधिकरण द्वारा स्वतंत्र रूप से निर्णय लिया जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. यह भी निर्देशित किया जाता है कि चूंकि समन की तामील के बावजूद दावेदार उपस्थित नहीं हैं, यदि वे संबंधित दावा अधिकरण के समक्ष कार्यवाही में उपस्थित नहीं होते हैं, तो न्यायाधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह दावे की याचिका का निर्णय दावेदारों की अनुपस्थिति में भी, अभिलेख पर विद्यमान अथवा उपस्थित पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर गुण-दोष पर दावा याचिका का निर्णय करें। न्यायाधिकरण मृतक की आय के भावी संभावनाओं पर भी विचार कर सकता है।

2010:CGHC:13340

15. रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह बिना किसी देरी के संबंधित दावा अधिकरण के अभिलेखन को प्रेषित करे।

16. नियमानुसार प्रमाणित प्रति।

हस्ता/-
आई.एम.कुद्दूसी
न्यायाधीश

हस्ता/-
एन.के.अग्रवाल
न्यायाधीश

अस्वीकरणः

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By: सुमन श्रीवास्तव